मनमानी सेवा सहकारी समिति आरछा में चल रही मनमानी, उठ रहे गंभीर सवाल

किसान भरता रहा कम धान, समिति बनी रही मूकदर्शक

नवभारत, जबलपुर। पाटन तहसील अंतर्गत सेवा सहकारी समिति आरछा के धान खरीदी केंद्र पर अनियमितताओं के गंभीर मामले सामने आए हैं। समिति में किसानों द्वारा 35 से 36 किलो के बीच धान की तौल किए जाने की स्थिति देखी गई, जबकि नियमानुसार 40 किलो 600 ग्राम की तौल होती है, जिससे खरीदी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। मंगलवार दोपहर खरीदी केंद्र पर यह नजारा देखने को मिला कि एक किसान जिसका नाम कमला पटेल बताया जा रहा है, वह स्वयं ही पल्लेदारों के माध्यम से धान की तुलाई करवा रहा था। मौके पर जब कांटे पर बोरियों की दोबारा तौल कराई गई तो सभी बोरियों का वजन 35 से 36 किलो तक ही मिला। इस पर किसान ने बताया कि उसे बारदाने भी खरीदी केंद्र से ही उपलब्ध कराए गए थे, इसलिए वह यहीं तौल करवा रहा था। कम तौल की सच्चाई सबके सामने आने के बाद आनन- फानन में किसान ने तुरंत अपनी पूरी धान ट्रॉली में वापस भरवाई और केंद्र से लेकर चला गया। गौरतलब है कि इस मामले में मौजूद समिति के सदस्य मूकदर्शक बने रहे और किसान अपनी मनमानी से तौल करता रहा। इस घटना ने खरीदी व्यवस्था की निगरानी और नियमों के पालन पर बड़ा प्रश्नचिह्न लगा दिया है।

बोरियों की पर्चियों में नहीं थे किसानों के नाम

जानकारी के अनुसार समिति का खरीदी केंद्र पहले समिति परिसर में संचालित हो रहा था, लेकिन श्री वेयरहाउस की क्षमता पूरी हो जाने के बाद अब खरीदी कार्य आगा सौत स्थित मां लक्ष्मी वेयरहाउस में किया जा रहा है। यहां जिन किसानों से धान की खरीदी की जा रही है, उनकी तौल कर बोरियों में सिलाई और पर्ची लगाई जा चुकी है, लेकिन किसी भी बोरी की पर्ची में किसानों का नाम दर्ज नहीं पाए गए।

समिति और किसान की हो सकती है मिलीभगत

केन्द्र पर किसान अपनी मनमानी से तौल कर रहा था और वहां मौजूद सर्वेयर का कहना है कि उसके द्वारा धान नहीं पास की गई है और मना करने के बाद भी किसान जबरजस्ती धान तुलवा रहे हैं। इससे आशंका जताई जा रही है कि संबंधित व्यक्ति किसान न होकर व्यापारी या बिचौलिया भी हो सकता है। पूरे घटनाक्रम को देखते हुए सेवा सहकारी समिति आरछा की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। बिना सर्वेयर की अनुमति तौल और बारदाने की उपलब्धता इस ओर इशारा करती है कि खरीदी प्रक्रिया में समिति स्तर पर मिलीभगत हो सकती है।

केंद्र प्रभारी ने झाड़ा पल्ला

इस पूरे मामले पर केंद्र प्रभारी नीरज पटेल ने सफाई देते हुए कहा कि संबंधित धान को उनके द्वारा पास नहीं किया गया था और कम तौल पाए जाने पर किसान अपनी धान वापस लेकर चला गया। हालांकि घटना के समय केंद्र प्रभारी स्वयं केंद्र पर मौजूद नहीं थे, जिससे संदेह और गहरा गया है।

इनका कहना है

सोमवार को भी उक्त केंद्र पर शिकायत आई थी, जिसमें संयुक्त कलेक्टर एवं अन्य अधिकारी पहुंचे थे, जिसमें कुछ बोरी अधिक वजन की मिली थी, जिसको लेकर समिति को आज नोटिस दिए हैं। कम तौल को लेकर भी केंद्र पर जाकर जांच की जाएगी।

मानवेंद्र सिंह
पाटन एसडीएम

महिला के खाते से उड़ाए 98 हजार

नवभारत, जबलपुर। गढ़ा निवासी एक महिला के खाते से साइबर ठग ने 98 हजार रुपए उड़ा लिए। पुलिस ने रिपोर्ट पर अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि निकिता जैन 42 वर्ष निवासी के.जी.बोस नगर गढ़ा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके मोबाइल में पैसे निकलने के मैसेज आये, उसने मोबाइल पर आये मैसेज चैक किये तीन बार में क्रमश: 90 हजार, 5 हजार एवं 3 हजार रुपये कुल 98 हजार रुपये उसके सेंट्रल बैंक इंडिया शाखा गढ़ा के खाता से निकाले गये, उसने बैंक जाकर पता किया उसे बैंक से जानकारी मिली कि उसके खाता से किसी अज्ञात व्यक्ति के खाता में फर्जी तरीके से पैसे निकाले गये है उसने ससुर को हार्ट के डाक्टर को दिखाने के लिये गूगल सर्च किया था सर्च में आये 2 नम्बरों पर बात हुयी थी उन्होंने आनलाईन अपाइंटमेंट फार्म भरने के लिये उसके मोबाइल पर व्हाट्सएप में एक लिंक भेजी थी उसने लिंक ओपन की और उनके द्वारा 5 रूपये सेंड करने के लिये कहा था लेकिन उसने पैसे सेंड नहीं किये थे, लगता है इसी लिंक के द्वारा उसके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है उसने अपना मोबाइल फार्मेट कर दिया जिस कारण उसके मोबाइल में लिंक नहीं है।

सूदखोरी के मकड़जाल में फंस युवक ने किया था सुसाइड

मर्ग जांच में खुलासा : आरोपिया गिरफ्तार, गई जेल, एक फरार

नवभारत, जबलपुर। कैंट थाना अंतर्गत मोदीबाड़ा सदर निवासी एक युवक ने 11 दिसम्बर 25 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मर्ग जांच में खुलासा हुआ कि मृतक सूदखोरी के मकड़जाल में फंस गया था। प्राड़ना से तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने मामले में एक आरोपिया को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कर जेल भेज दिया जबकि दूसरा आरोपी फरार है जिसकी तलाश जारी है। टीआई पुष्पेन्द्र पटले ने बताया कि 11 दिसम्बर 25 को मोदीबाड़ा सदर निवासी विकास पासी 32 वर्ष ने घर के कमरे में पंखा लगाने वाली सीलिंग में फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली थी। मर्ग जांच में खुलासा हुआ कि मृतक ने कृष्ण कुमार पासी उर्फ सोनू एवं पिंकी टंडन से लाखों रूपए उधार लिए थे जिसके एवज में उसने कई गुना राशि चुका दी थी लेकिन उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। जिसके चलते उसने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपिया पिंकी टंडन पिता धनीराम टंडन 36 वर्ष निवासी गली नम्बर 10 कुरील मोहल्ला सदर को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया प्रकरण के अन्य आरोपी कृष्ण कुमार पासी उर्फसोनू की तलाश जारी है।

7.90 लाख के बदले दिए 12 लाख

जांच में खुलासा हुआ कि लगभग 5 साल पहले मृतक ने कृष्ण कुमार पासी से 7 लाख 90 हजार रूपये लिये थे, जिसे ब्याज सहित 12 लाख रूपये चुका दिये है, इसके बाद भी कृष्णकुमार पासी उसकी झूठी शिकायत कर उसे परेशान कर रहा है।

चार के बदले वसूले आठ लाख

इसी प्रकार पिंकी टंडन से भी मृतक ने 4 लाख रूपये उधार लिये थे जिसके 8 लाख रूपये चुका दिये है फिर भी पिंकी उससे एवं उसकी माँ से हरमाह वसूली कर रही थी।

धान की हेराफेरी : तीन पर एफआईआर दर्ज

जबलपुर। धान की हेराफेरी मामले में पाटन पुलिस ने नरसिंहपुर निवासी तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस के मुताबिक कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पाटन आभा शर्मा पति विवेक कुमार शर्मा ने कार्रवाई रिपोर्ट थाने में प्रस्तुत की। जिसके अवलोकन पर पाया गया कि कृषि उपज मण्डी पाटन के समीप एक ट्रेक्टर में लोड धान में भारी गड़बड़ियां, अनियमितताएं पाई गई थी। चालक ने अपना नाम पुरुषोत्तम पटैल पिता सुखराम पटेल, निवासी बेलखेड़ी गोटेगांव नरसिंहपुर ने पूछताछ पर बताया कि वे बबलू लोधी पिता छिदामी लोधी के साथ 7 जनवरी 2026 को गोटेगांव जिला नरसिंहपुर से आया था। जांच के दौरान दोनों के पास पहचान के कोई भी दस्तावेज नहीं पाए गए थे। धान को नहिंहल सिंह लोधी के घर से लोड किया जाकर ग्राम टिकरी तहसील शहपुरा स्थित उपार्जन केन्द्र में विक्रय के लिए ले जाना बताया गया, किन्तु धान किस किसान के पंजीयन पर विक्रय की जानी है, इसकी जानकारी जांच समय नहीं दी गई। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग-पाटन को प्रस्तुत आवेदन पत्र में ताराचन्द उर्फ बबलू लोधी धान का स्वामी स्वयं होना एवं धान को मण्डी विक्रय करने के लिए लाया जाना उल्लेखित कराया है। ट्रेक्टर को पुरुषोत्तम पटैल चला रहे थे जो कि ताराचन्द उर्फ बबलू लोधी के साथ गोटेगांव जिला नरसिंहपुर से आए थे। जांच समय धान एवं कृषक से संबंधित कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गए। धान 140 बोरी मय ट्रेक्टर को जप्त किया। जांच में पाया गया कि शासन के साथ धोखाधड़ी कर समर्थन मूल्य पर अवैध लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से बेइमानी से धान का अवैध परिवहन किया गया। आरोपी ताराचंद उर्फ बबलू लोधी, ओमप्रकाश लोधी, पुरुषोतम पटेल के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया।

रीवा-सीएसएमटी स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ाये गये

जबलपुर। यात्रियों की सुविधा और यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से पश्चिम मध्य रेल से प्रारम्भ टर्मिनेट होने वाली रीवा-सीएसएमटी-रीवा के मध्य 16 जनवरी तक संचालित होने वाली साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के फेरे दोनों दिशाओं में 07-07 ट्रिप बढाये गये है। अब यह स्पेशल ट्रेन रीवा से प्रत्येक गुरुवार 26 फरवरी तक तथा छत्रपति शिवाजी महराज टर्मिनस (सीएसएमटी) से प्रत्येक शुक्रवार 27 फरवरी तक चलेगी गाड़ी संख्या 02187 रीवा-सीएसएमटी स्पेशल ट्रेन प्रत्येक गुरुवार रीवा से दोपहर 15:50 बजे प्रस्थान कर और दूसरे दिन शुक्रवार दोपहर 12:20 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पहुँचेगी।

किराना से लेकर इत्र दुकान में बिक रही थी मौत की डोर

चार थाना पुलिस की छापेमारी पांच दुकान संचालक गिरफ्तार

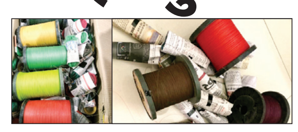

जबलपुर। शहर में किराना से लेकर इत्र की दुकान में मौत की डोर कहे जाने वाले प्रतिबंधित चायनीज मांझा को धड़ल्ले से बेचा जा रहा था। जिसकी भनक लगते ही गोरखपुर, गोरखपुर माढ़ोताल, लार्डगंज थानों की पुलिस ने छापेमारी कर दी। इस दौरान अवैध रूप से चायनीज मांझा बेचने वाले पांच दुकान संचालकों को गिरफ्तार किया गया है। विदित हो कि चाइनीज मांझा मानव जीवन, पशु-पक्षियों एवं सार्वजनिक सुरक्षा के लिए घातक है। जिसपर प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि चायनीज मांझा का कहीं विक्रय न हो। जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है। लार्डगंज टीआई नवल सिंह आर्य ने बताया कि राजा पतंग वाले के यहां गली नम्बर 4 उजारपुरवा में दबिश दी गई जहां दुकान संचालक सुनील साहू दुकान में प्रतिबंधित चायनीज मांझा अत्याधिक मात्रा में बेचने के लिये रखे मिला। पूछताछ करने पर कोतवाली स्थित अलीम पतंग दुकान वाले मोह. हिदायत से उक्त प्रतिबंधित चायनीज मांझा 7 हजार रूपये में खरीदना बताया। कोतवाली स्थित अलीम पंतग वाले की दुकान में दबिश दी गयी जहाँ मोह. हिदायत मिला जिसने पूछताछ करने पर उक्त चायनीज मांजा बेचना स्वीकार किया। इसी प्रकार माढ़ोताल थाना प्रभारी वीरेन्द्र सिंह पवार ने बताया कि लमती रोड के पास दबिश दी गई। संचालक रूप सिंह पटेल चाईनीज मांझा बेचते मिला। 6 गिर्री एवं कागज में लिपटे 20 चायनीज मांझा के छोटे पैकेट जब्त किए गए। इसी प्रकार गोरखपुर थाना प्रभारी नितिन कमल ने बताया कि छोटी लाईन फाटक के पास भाईजान इत्र वाले की दुकान में दबिश दी गई जहां दुकान संचालक केसर रजा मसूरी टेबिल लागाकर चायनिज मांझा अवैध रूप से बेचते हुये मिला। दुकान से 150 चायनीज मांझा एवं 5 रोलर जप्त किए गए। इसी प्रकार गोहलपुर थाना प्रभारी रीतेश पांडे ने बताया कि गोहलपुर में किराना दुकान संचालक जमील अंसारी चायनीज मांझा बेचते मिला। दुकान में 10 चायनीज मांझा रखे मिले जिसे जब्त किया गया।

एक्सचेंज किए गए सात वाहनों समेत रकम हड़पी

जबलपुर। अधारताल स्थित ऑटो एजेंसी में कार्यरत सेल्स एक्जीक्यूटिव ने एक्सचेंज किए गए सात वाहनों के साथ रकम हड़प ली। पुलिस ने रिपोर्ट पर आरोपित के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कर ली है।

पुलिस के मुताबिक प्रतीक गुप्ता 35 वर्ष निवासी विदित रायल पार्क करमेता थाना माढ़ोताल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह सिया आटो एजेंसीस प्रायवेट लिमिटेड अधारताल में संचालक है उसने अपनी कंपनी में अनिकेत विश्वकर्मा निवासी सूजी मोहल्ला गोहलपुर को 1 सितम्बर 2024 को बतौर सेल्स एक्जीक्यूटिव के पद पर वेतन व इनसेंटिव प्रतिमाह 15000 रूपये में रखा था, अनिकेत विश्वकर्मा का कार्य कंपनी के इलेक्ट्रिक वाहन विक्रय करना एवं उनका सब्सिडी क्लेम करना था। अनिकेत विश्वकर्मा द्वारा ग्राहको से एक्सचेंज किये गये सात टू व्हीलर वाहन कंपनी में नही पाये गये और न ही उपरोक्त वाहनो की राशि लगभग 95,000 हजार रूपये कंपनी में जमा की गयी है और एक्सचेंज किये गये, टू व्हीलर वाहनो का हिसाब मांगने पर अनिकेत विश्वकर्मा कंपनी में बिना कोई सूचना दिये कंपनी छोड़कर चला गया है।

प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी ने की थी खुदकुशी

जबलपुर। अधारताल थाना अंतर्गत आजाद नगर मोहरिया में रहने वाली एक महिला ने जहर का सेवन कर आत्महत्या कर ली थी। जांच में पाया गया कि मृतिका ने पति की प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी की थी। जांच के बाद आरोपित पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नगर पुलिस अधीक्षक अधारताल सुश्री राजेश्री कौरव ने बताया कि 3 जनवरी को आजाद नगर मोहरिया निवासी तस्लीम बानो ने जहर का सेवन कर लिया था जिसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलिज में भर्ती कराया गया था जहां 14 जनवरी को तस्लीम बानो की मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया। मायके पक्ष के बयान लिए गए जिसमें पाया गया कि श्रीमति तस्लीम बानो ने 11 सितम्बर 21 को समरेज आलम से निकाह किया था। पति समरजेश शराब पीने का आदि था काम धंधा नहीं करता था, तस्लीम द्वारा पति को काम करने को कहने पर पत्नि के साथ मारपीट करता था, आये दिन प्रताड़ित करता था जिससे तंग आकर श्रीमति तस्लीम ने जहर का सेवन कर खुदकुशी कर ली थी। आरोपी पति समरेज आलम 28 वर्ष निवासी आजाद नगर मोहरिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

नकाबपोशों ने पूजा कर मंदिर से निकले युवक को चाकू से गोदा

नवभारत, जबलपुर। खमरिया थाना अंतर्गत ओएफके अस्पताल मोड के पास खेरमाई मंदिर में पूजा कर बाहर निकले युवक को नकाबपोश बदमाशों ने घेर लिया और चाकू से वार कर घायल कर दिया जिसे गंभीर अवस्था में उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। वहीं हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक संतोष मिश्रा 47 वर्ष निवासी मानेगाँव रांझी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह दोपहर लगभग 3-45 बजे वह ओएफके अस्पताल मोड के पास खेरमाई मंदिर खमरिया से पूजा कर बाहर निकला तभी नकाबपोश अज्ञात 4 युवक उससे जबरन 1500 रूपये मांगने लगे, उसने रूपये देने से मना किया तो एक ने उसे पकड लिया दूसरे ने कनपटी में घूसा मारा, तीसरे ने चाकू से वार कर दिया। चौथे ने किसी चीज से हमला कर हाथ मे चोट पहुंचा दी इसके बाद चारों भाग गये।

दो सगे भाई पर चाकू से वार

घमापुर थाना अंतर्गत द्वारका नगर कछियाना मोहल्ला में देर रात्रि बदमाशों ने दो सगे भाईयों पर चाकू से हमला कर दिया पुलिस के मुताबिक राहुल प्रजापति निवासी द्वारका नगर कछियाना मोहल्ला ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि बीती रात करीब 12:30 बजे दीपू उर्फ चिल्ली उर्फ देवेन्द्र प्रजापति ने शराब पीने के लिए 500 रुपये मांगने लगा। मना किया तो पिन्टू प्रजापति एवं राहुल प्रजापति ने उसे पकड़ लिया और मारपीट करने लगे दीपू ने चाकू से उस पर एवं उसके भाई रवि प्रजापति पर चाकू से हमला किया

एडीपीओ की पत्नी को धमकाया

जबलपुर। अधारताल थाना अंतर्गत गोकुलधाम कॉलोनी में रहने वाले एडीपीओ की पत्नी के साथ अभद्रता करते हुए पड़ोस में रहने वाली महिलाओं ने धमकाया। झूठे केस एवं जान से मारने की धमकी दी। पुलिस के मुताबिक अमित कुमार गुप्ता निवासी गोकुलधाम कॉलोनीधनी की कुटिया रोड अधारताल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वे जिला न्यायालय जबलपुर में एडीपीओ के पद पर पदस्थ है। दोपहर करीब 1:50 बजे पत्नी रूकमणी गुप्ता को घर के सामने रहने वाली रश्मि दाहिया एवं उसकी तीनों ननद चिंकी दाहिया, कुक्कू दाहिया, मंदो दाहिया धमकी दी।

भदभदा पहाड़ी में फांसी पर लटकी मिली युवक की लाश

जबलपुर। कटंगी थाना अंतर्गत वार्ड नम्बर 9 भदभदा में एक युवक की लाश फांसी के फंदे पर लटकी मिली। मृतक ने यह कदम किन परिस्थितियों में उठाया इसका फिलहाल पता नहीं चल सका है पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक अड्डी पटेल 50 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 9 भदभदा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि रात लगभग 9 बजे उसका बेटा अजय पटेल मजदूरी कर घर आया और खाना खाकर घूमने चला गया जो देर रात तक घर वापस नही आया तो वह एवं उसके परिवार के सदस्य अजय की तलाश करने निकले उसे पता चला कि अजय भदभदा पहाड़ी तरफ गया है, सभी भदभदा पहाड़ी तरफ अजय की तलाश करने गये देखा अजय पटेल पेड़ से रस्सी बांधकर फांसी लगाकर लटका था देखा अजय की श्वांस चल रही थी जिसे फांसी से उतारकर जमीन पर लिटाया देखा अजय पटेल 20 वर्ष की मौत हो गई।